UPSI040506422022

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

<u>फौजदारी वाद संख्या–5460 / 2022</u>

CIS No-39817/2022

सरकार प्रति अनिल आदि।

अपराध सं0–344 / 2022
धारा–498ए,304बी भा0दं0सं0
व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना–लहरपुर,
जिला–सीतापुर।

<u>सुपुर्दगी आदेश</u>

अभियुक्तगण अनिल एवं शिवप्यारी उर्फ सरोजनी के विरूद्ध अपराध सं0–344 / 22, थाना लहरपुर, जिला सीतापुर में अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण जेरे हिरासत न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्तगण का अपराध अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः अभियुक्तगण का वाद विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय सुपुर्द किया जाता है।

अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रो की प्रतियां अन्तर्गत धारा 208दं0प्र0सं0 के तहत दी जा चुकी है।

अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली मय कलैण्डर अविलम्ब माननीय सत्र न्यायालय को प्रेषित की जाय।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को सूचित किया जाय।

अभियुक्तगण अनिल एवं शिवप्यारी उर्फ सरोजनी जेल से तलब होकर माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक–07.11.2022 को उपस्थित हों। अभियुक्तगण माननीय सत्र न्यायालय के अग्रिम आदेश तक जेल में निरूद्ध रहेगें।

<u>दिनांक–20.10.2022</u>

(राहुल सिंह–II)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीतापुर।
J.O. Code. U.P. 1851

कपिल / स्टेनों

Digitally signed by RAHUL SINGH II
Date: 2022.10.20 16:08:02 IST
Reason: Order
Location: CJM Sitapur